27

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DM 735286

27-6-17

डा0 एस0पी0 शिक्षण संस्थान

न्यास विलेख (Insrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 27–06–2017 को श्री सरजू प्रसाद यादव पुत्र श्री केरई राम यादव निवासी ग्राम–सरायबीरू, पोस्ट–सराबीरू, ब्लाक–केराकत, तहसील–केराकत, जिला–जौनपुर द्वारा घोषित किया गया है।

जिन्हें न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जाएगा क्योकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रू0–6000 / (छः हजार रू0 मात्र) की राशि है। जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों जैसे प्राविधिक, उच्च चिकित्सा व्यवसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रूप में कार्य करेगा। जिसको आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा क्योकि ट्रस्ट न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यायसकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि व विभिन्न क्षेत्रों में दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है। जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने

क्रमांक...2

Digitally signed by SARJU PRASAD YADAV
Date: 2023.06.11 16:41:19 +05:30
Reason: reason
Location: location

198 2-5-17

100

उप कोषाधिकारी
28 APR 2017
हरैया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DM 735287

उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 6000/(छः हजार रू0 मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है क्योकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–सरायबीरू, पोस्ट–सराबीरू, ब्लाक–केराकत, तहसील–केराकत, जिला–जौनपुर उ0प्र0 में रहेगा एवं अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा। क्योकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

डा0 एस0पी0 शिक्षण संस्थान

(इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्यों एवं नियमावली :–

1. ट्रस्ट के उद्देश्य– ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा–
   1. बिना लिंग भेद किये हुए सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जू0हा0 स्कूल, हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट कालेज, बी0एड0 कालेज, बी0टी0सी0, बी0एल0एड0 कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासो, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रो, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्दों की स्थापना नामकरण, विकास सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों, शासन आदि से उन्हे सम्बन्ध आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृति कराना।

199

Ammy
स्टाम्प 198

30

न्यास पत्र

6,000.00	120.00	100	220.00	32
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री सरजू प्रसाद यादव
पुत्र श्री केरई राम यादव
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी सरायबीरू केराकत जौनपुर ,आधार
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/6/2017 समय 3:28PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

उप जिलाधिकारी 28 APR 2017 केराकत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र त्रिपाठी
उपनिबन्धक केराकत
जौनपुर
27/6/2017

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री सरजू प्रसाद यादव
पुत्र श्री केरई राम यादव
पेशा कृषि
निवासी सरायबीरू केराकत जौनपुर ,आधार

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान शैलेश कुमार सोनकर
प्रदीप सोनकर
पेशा कृषि
निवासी सरायबीरू केराकत जौनपुर ,आधार
व सनी कुमार
जिलेदार
पेशा कृषि
निवासी डेहरी केराकत जौनपुर ,मतदाता
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र त्रिपाठी
उपनिबन्धक केराकत
जौनपुर
27/6/2017

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DM 735294

2. ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलादि का विकास करना।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. किसी भी सामान (तरल एवं ठोस) की खरीद एवं बिक्री कराना।
10. पत्थर के खनन का कार्य कराकर भूमि को उपजाऊ योग्य बनाना।
11. ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा का कार्य कराकर भारत सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना एवं लोगो को बीमा से लाभान्वित करना।
12. उपहार के वस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय कार्य कराना।
13. कबाड़ा की सामानो को इकठ्ठा करके फर्नीस भठ्ठियां का निर्माण करके उनको गलाकर वातारण को दूषित होने से बचाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना ट्रस्ट का सर्वोत्तम कार्य होगा जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य है।

क्रमांक....4

234 02-5-17

क्रमांक.............दि०.......

स्टाम्प ... करने का प्रयोजन ट्रस्टडीड

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता एस० पी० किसान संस्थान

सराय बीरू केराकत जौनपुर

स्टाम्प की कीमत 100

सी० ओ० लाइसेंस न०

स्टाम्प विक्रेता

तह० केराकत जौनपुर

उप कोषाधिकारी

28 APR 2017

केराकत जौनपुर

न्यासी

Registration No.: 27 Year : 2,017 Book No. :

0101 सरजू प्रसाद यादव

केरई राम यादव

सरायबीरू केराकत जौनपुर ,आधार

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DM 735295

14. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागो के कार्यो का संचालन करना।
15. आई0टी0आई0, पालिटेक्निक, इंजिनियरिंग, प्रबन्धन, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग आपरेटर टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फीजियोथेरेपी आदि मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
16. समाज के लोगो के लिए हास्टल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग, कंपनी, फर्म आदि की व्यवस्था करना।
17. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
18. अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगो के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना व विद्यालय संचालित करना व उनके पुर्नवास के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना।
19. विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक, प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, उर्दू, अंग्रेजी, कम्प्यूटर, प्रोफेनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्धन करना।

क्रमांक..5

235 02-0517

स्टाम्प ... 233

स्टाम्प की कीमत 100

स्टाम्प विक्रेता, केराकत जौनपुर

उप कोषाधिकारी 28 APR 2017 केराकत - जौनपुर

गवाह

Registration No.: 27 Year : 2017 Book No. : 4

W1 शैलेश कुमार सोनकर

प्रदीप सोनकर

सरायबीरू केराकत जौनपुर ,आधार

कृषि

W2 सनी कुमार

जिलेदार

डेहरी केराकत जौनपुर ,मतदाता

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 150422

20. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वालम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्धन करना।
21. साहित्यिक, पुस्तकों, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कार्य कर सकना।
22. सांस्कृतिक पर्यावारण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगितायें बैठकों, विशेष कक्षायें, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।
23. भण्डारण गृहों का निर्माण कर अनाजों, फलो का भण्डारण करना तथा उनका क्रय विक्रय करना।
24. शीत गृहों का निर्माण कर किसानों के फल, सब्जी, आलू, प्याज की सुरक्षा प्रदान करना।
25. किसानों को खसरा, खतौनी इण्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना।
26. बैंकिंग का कार्य कराना, लोगो का पैसा जमा कराकर उनको अच्छा रिटर्न देना, उनके पैसो को सुरक्षा प्रदान करना समय–समय पर गृह ऋण, कृषि कार्य हेतु ऋण, मोटर गाड़ी हेतु ऋण एवं रोजगार करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
27. सिलाई कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
28. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजिनियरिंग कालेज, आई0टी0आई0 कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

क्रमांक..6

236 02-5-17

क्रमांक......नि०......

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ... 233

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता ...

स्टाम्प की कीमत

100

मो० अजहर खाँ

स्टाम्प विक्रेता

तह० केराकत, जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 150423

29. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों संस्थानों तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
30. विधि सम्पति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
31. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
32. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं सेमिनार करना।
33. एड्स के बारे में जन जागरण हेतु प्रचार प्रसार करना।
34. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओ/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।
35. पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधिक आवश्यक व्यवस्थाये कर सकना।
36. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्यो के विषयो पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
37. डाक्टर, इंजिनियर, कारपेन्टर, सेन्ट्रिग कारपेन्टर, मेशन, बढ़ई, नाई, मोची, कूकर, ड्राईवर इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, मजदूर को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको विदेश जाने के लिए कार्य कराना, जिससे उनको रोजगार मिल सके एवं देश को विकास हो सके।

क्रमांक...7

क्रमांक 237 दि० 02-05-12
नाम ... पत्रों या प्रयोग
नाम क्रेता ... पुत्र पु०
स्टाम्प की कीमत
54

LM नं० 233

बी० ... स्टाम्प विक्रेता
तह० केराकत, जौनपुर
... उमाशंकर ...

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 150424

38. कुटीर लघु उद्योगों के माध्यम से असहाय तथा गरीब लोगों को रोजगार देना जिससे वह अपना जीवनयापन कर सके।
39. किसानों का उन्नतशीली बीजों, कीटनाशक दवाओं तथा नये–नये औजारो को सस्ते दरों में उपलब्ध कराना।
40. समय–समय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन कर उनको जागरूक करना।
41. किसानो को रासायनिक खादों (डाई, यूरिया, पोटाश, जिंक फास्फेट, कार्बनिक खाद, कम्पोस्ट खाद) इत्यादि को समय–समय पर उपलब्ध कराकर उनको लाभान्वित करना।
42. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्वार कर सकना।
43. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन कर सकना।
44. विभिन्न आयोजनाओं एवं कारणो हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायकता एवं वित्तिय सहायक स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
45. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी उत्पादित वस्तुए लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खड़न्जा, तालाबों का निर्माण कर मछली पालन, पशु पालन तथा मधुमक्खी पालन आदि प्रचार प्रसार करेगा।

क्रमांक...8

238 2-5-17

दिनांक......

स्वास्थ्य .....

... 233

59

प्रा- [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 150425

46. ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जन कल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओ को क्रियान्वयन करेगा।
47. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।
48. सस्ते दरों पर लोगों को सब्जी तथा फल उपलब्ध कराना।
49. लोगो को दो पहिया, चार पहिया एवं हैवी वाहन अपनी एजेन्सी के माध्यम से सस्ते दरो पर उपलब्ध कराना जिससे कम लागत पर लोगो को वाहन उपलब्ध हो सके।
50. विभिन्न संस्थाओ/विद्यालयो/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजिनियरिंग कालेजो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना एवं संचालित कराना तथा किसी भी संस्थान को अपने में समायोजित कर विशेषाधिकार प्राप्त करना।

2– <u>प्रारम्भिक उपबन्धः–</u>

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से श्री सरजू प्रसाद यादव पुत्र श्री केरई राम यादव को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष श्री सरजू प्रसाद यादव द्वारा रजिस्टार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न किया जाये तो ट्रस्ट का लीगल वारिस वही होगा जो उत्तराधिकारी (ट्रस्टी के पुत्र) ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है।

क्रमांक...9

239 2-05-17

क्रमांक .... दि........

स्टाम्प क्रय कर्ता का प्रमाण

स्टाम्प क्रेता का नाम

स्टाम्प की कीमत 54

श्री ... आज़हर खाँ स्टाम्प विक्रेता

ग्रा० केराकत, जौनपुर

लाइसेंस नं०

217 n-233

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 150426

3– **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण :–**

1. मैनेजिंग ट्रस्ट/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद पुत्रों में से किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्टी डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्टार के यहां रजिस्टर्ड करा दे अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल में उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
5. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारें सहित पूर्ण माना जायेगा।
6. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

4– **बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज**

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम 11 सदस्य होंगे।

क्रमांक ...10

क्रमांक 240 दि० 2-5-12
स्टाम्प [illegible] करने का प्रयोजन 211 - [illegible] - 233
स्टाम्प क्रेता का नाम व पुत्र [illegible]
स्टाम्प की कीमत 54

मो० अजहर
स्टाम्प विक्रेता [illegible]
तह० किरावली
लाइसेंस नं० [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 150427

2. यह कि जो व्यक्ति 500/रू0 चन्दा देगा वह एक वर्ष के लिए तथा जो 2000/रू0 चन्दा देगा व आजीवन के लिए सदस्य बन जायेगा।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल नष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करता है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी को कारण बतायें ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
4. यह कि मैनैजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्ष ट्रस्टी स्वयं करेगा।
5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक द्वारा निर्भर करता है इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

5– <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यालय एवं सुविधायें :–</u>

1. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

क्रमांक...11

241 2-5-17

क्रमांक........ दि.......

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible] 233

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता

स्टाम्प की कीमत 50

मो० कामरान [illegible]

स्टाम्प विक्रेता

तह० कैराना [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 150428

2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक/मानदेय भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा आय से ही आयकर का भुगतान करेगा।

6– कार्यक्षेत्र :–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमें समाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

7– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :–

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधन कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के कार्य कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

8– उपाध्यक्ष की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन–प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट एक उपाध्यक्ष एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपाध्यक्षो की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव के वेतन भत्ते सुविधाये कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जायेगा।

क्रमांक ...12

242 2-5-17

स्टाम्प खरीदने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता मो० 233

स्टाम्प की कीमत 54

मो० आजहर ... मो० उस्मान खाँ

स्टाम्प विक्रेता

तह० केराकत जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 150429

3. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक /प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9– सचिव की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन–प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उक्त सचिव के वेतन, भत्ते, सुविधायें, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बतायें उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/ प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षो के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

क्रमांक 13

क्र०सं० 243 02-5-12
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता 211 रु० 233
स्टाम्प की कीमत

54

मो० अजहर
स्टाम्प विक्रेता
तह० कैराना, शौन

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 150430

10– अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे।

1. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्टार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुपस्थिति में सारे कार्यो की देख–रेख अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य द्वारा किया जायेगा।
4. चल एवं अचल सम्पत्ति का क्रय एवं विक्रय करने का अधिकार।

11– बैंक एकाउन्ट :–

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशो के अन्तर्गत खाता खोल सकता है तथा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय, संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एंव संचालित किया जा सकता है।

क्रमांक...14

244 2-5-12

233

54

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 086948

12– विधिक कार्यवाही :–

यह संस्था ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जा सकती है या उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही होती है तो अध्यक्ष के अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

13– सम्पत्ति सम्बन्धी :–

1. ट्रस्ट चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, अरग्रह भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय प्राप्त कर सकता है अथवा देख सकता है।
4. ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना के धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है तथा ट्रस्ट द्वारा ऋण, दान, उपहार, अरग्रह भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह को कहीं भी खर्च कर सकता है तथा आय–व्यय हिसाब रखना ट्रस्टी/अध्यक्ष का अधिकार है।
5. चल एवं अचल सम्पत्तियों का विक्रय करने का सम्पूर्ण दायित्व अध्यक्ष का होगा।
6. वर्तमान में ट्रस्ट के पास 6000/– (छः हजार रू0) की पूंजी है।
7. अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्यो संस्था के विक्रय चल एवं अचल सम्पत्ति का क्रय करने हेतु नामित कर सकता है। जिसका सम्पूर्ण हक ट्रस्ट के अध्यक्ष का होगा।

क्रमांक 15

क्रय विक्रय की तिथि..02-05-15 ..क्रमांक...72

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.......[illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता..[illegible]

स्टाम्प की धनराशि....50

चन्द्रशेखर यादव

चन्द्रशेखर यादव

स्टाम्प विक्रेता ला०-नं०-352

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 086949

(15)

14– विशेष :–

अध्यक्ष कोई भी निर्णय ले सकता है जो कि सर्वमान्य होगा।

ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित, स्वीकृत, आत्मसमर्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है। उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में जाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिए गए है। उक्त ट्रस्ट भारतीय अधिनियम के तहत मान्य है।

साक्षीगण–

1. नाम– शैलेशकुमार सोनकर S/o प्रदीप सोनकर
   पता– सरायबीरू केराकत जौनपुर

2. नाम– सतीश कुमार S/o जिलेदार
   पता– सेहरी केराकत जौनपुर

(सरजू प्रसाद यादव)
ट्रस्टी / अध्यक्ष
डा0 एस0पी0 शिक्षण संस्थान
ग्राम0–सरायबीरू, पोस्ट–सरायबीरू,
जिला–जौनपुर

दिनांक–

मसविदाकर्ता
~~श्री अखिलेश कुमार~~
राघवेन्द्र सिंह एडवोकेट
27-6-17

स्टाम्प विक्रय की तिथि [illegible] क्रमांक 73

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 50

[illegible]

[illegible] यादव

लाइ०नं०-२२

[illegible] उन्नाव